राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3528/2024

श्याम शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, करौली।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मण्डावरा, हिण्डौनसिटी, जिला करौली।
5. राजश्री मीना, पूर्व प्राथमिक शिक्षक, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मण्डावरा, हिण्डौनसिटी, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.12.2024
आदेश की दिनांक : 17.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को एमजीजीएस मंडावरा, हिंडौन से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डारी, हिंडौन में काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास के रिक्त पद को दर्शाए बिना स्थानांतरित कर दिया गया था। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 16 पर अंकित है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.12.2024 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2024 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दे रहा है जिसके द्वारा अपीलार्थी को यह कहते हुए अधिशेष घोषित किया गया था कि अपीलार्थी को उसी स्कूल में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के पदस्थापन के कारण अधिशेष घोषित किया गया था जबकि नियमों के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षक का पद अस्तित्व में नहीं है क्योंकि यह पद केवल हिंदी माध्यम स्कूल के लिए है और शिक्षक ग्रेड III लेवल । का पद एमजीजीएस स्कूल के लिए मौजूद है। अपीलार्थी का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया गया था और वह एक

प्रशिक्षित शिक्षक है और निजी प्रत्यर्थी एमजीजीएस स्कूल के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है क्योंकि उसे साक्षात्कार प्रक्रिया के बिना चुना गया था। अपीलार्थी का नाम पूर्वोक्त आदेश में क्रम संख्या 2 पर रखा गया था जिसके द्वारा अपीलार्थी ने बिना किसी आधार के अधिशेष घोषित कर दिया यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए ही अपीलार्थी को अवैध रूप से अधिशेष घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा शिक्षकों को अपीलार्थी की तरह सरप्लस घोषित करके उनकी पोस्टिंग के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है, जो कि नियमित कर्मचारी है क्योंकि अपीलार्थी का चयन वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान स्थान पर हुआ था और वह सरप्लस कर्मचारी नहीं है क्योंकि वह एक नियमित कर्मचारी है। आदेश दिनांक 14.11.2024 के अनुसार कनिष्ठ उम्मीदवारों को सरप्लस बनाया जा रहा है जबकि वर्तमान मामले में अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्हें सरप्लस घोषित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 5 को भी उसी विद्यालय अर्थात महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मंडावरा, हिंडौनसिटी, जिला करौली में पूर्व प्राथमिक शिक्षक के रूप में आदेश दिनांक 27.09.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा नियुक्त किया गया था और उनका चयन एमजीजीएस के उपकर के साथ–साथ प्रक्रिया दिशानिर्देशों का पालन किए बिना किया गया था क्योंकि एमजीजीएस के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षक का कोई पद नहीं है क्योंकि एमजीजीएस विद्यालय के लिए केवल शिक्षक ग्रेड III लेवल । पद स्वीकृत है। अपीलार्थी दिनांक 18.02.2024 से मोटर न्यूरॉन रोग से पीड़ित है और दस्तावेजों की सलाह के अनुसार उसे अपनी स्थिति में और सुधार के लिए आयुर्वेद उपचार जारी रखना है और नियमों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है (अनुलग्नक–6)। जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.11.2024 (अनुलग्नक–7) के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित है तो उसे अधिशेष नहीं माना जाएगा तथा उसे उसी स्थान पर जारी रखने के निर्देश दिए गए है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 09.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मंडावरा, हिण्डौनसिटी, जिला करौली में अध्यापक ग्रेड III लेवल । के पद पर नियमित वेतन और अन्य परिणामी लाभों के साथ कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि

वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी एक सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य